भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- †1634**

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2023

**आश्रम विद्यालय**

†1634. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस योजना के प्रारम्भ से अब तक कितने आश्रम विद्यालय राज्य-वार स्थापित किए गए हैं और कार्यशील हैं;

(ख) इन विद्यालयों से कितने जनजातीय व्यक्ति स्नातक हुए हैं;

(ग) इन विद्यालयों से कितने स्नातक व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए योग्य हैं;

(घ) क्या सरकार पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों की उच्च दर को कम करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

**(क) से (ग):** अनुसूचित जनजातियों (अजजा) से संबंधित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) एक अलग योजना "जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" चला रहा था, जिसके तहत राज्य सरकारों को आश्रम विद्यालयों के निर्माण और मौजूदा आश्रम स्कूलों के उन्नयन के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निर्माण लागत प्रदान करता है और राज्य सरकार इन आश्रम स्कूलों को चलाने और समग्र रखरखाव और उन्हें कार्यशील बनाने के लिए जिम्मेदार है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आश्रम स्कूलों की राज्य-वार सूची दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक- 1** में है। आश्रम स्कूल के निर्माण के हस्तक्षेप/उपाय को 2018-19 के दौरान 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' (टीएसएस को एससीए) की योजना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान में शामिल किया गया था। इन स्कूलों से जनजातीय स्नातकों और इन स्कूलों से उत्तीर्ण सरकारी नौकरियों के योग्य स्नातकों के विवरण, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

**(घ) तथा (ङ):** सरकार अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने और ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए कई हस्तक्षेपों/उपायों को कार्यान्वित कर रही है:

(i) मंत्रालय दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों (कक्षा छटी से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए (ii) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके। 8-02-2023 तक, देश भर में ऐसे 401 ईएमआरएस काम कर रहे हैं जिनमें 113275 छात्र नामांकित हैं। संचयी रूप से, 2025-26 तक 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 740 ईएमआरएस स्थापित करने हेतु चिन्हित कर लिए गए हैं।

(ii) नए छात्रावास भवनों और/या मौजूदा छात्रावासों का विस्तार, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा आदि के निर्माण सहित शिक्षा के सुधार से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' और पीवीटीजी के विकास के लिए योजना के साथ-साथ पूर्व 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' की योजना के तहत निधियां प्रदान की जाती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत सहायता में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की जांच करने और स्वच्छता के मुद्दों को संबोधित करने, किचन गार्डन को बढ़ावा देने, स्कूल के भोजन में पारंपरिक भोजन और खेल भी शामिल हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ईएमआरएस के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा राज्यों को प्रदान की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक- 2** में दिया गया है।

(iii) यह मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। हर साल 30 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को कक्षा IXसे पीएचडी स्तर तक भारत और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2013-14 में बजट परिव्यय 978.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2546.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

(iV) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए स्कूल चलाने सहित स्वैच्छिक एजेंसियों को आवासीय विद्यालयों और गैर-आवासीय विद्यालयों के आवर्ती खर्चों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(V) इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों/उपायों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित बच्चों के बीच शिक्षा के विकास के लिए पर्यावरण को सक्षम बनाता है।

**अनुलग्नक- 1**

**दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1634 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- 1**

**आश्रम विद्यालयों की राज्य-वार सूची और उनकी कार्यात्मक स्थिति**

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | आश्रम विद्यालयों की संख्या | |
|---|---|---|
| | स्वीकृत आश्रम विद्यालय | कार्यशील आश्रम विद्यालय |
| आंध्र प्रदेश | 188 | 188 |
| तेलंगाना सहित | 3 | 1 |
| असम | 134 | 128 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | 1 |
| गोवा | 164 | 164 |
| गुजरात | 24 | 3 |
| झारखंड | 28 | 23 |
| कर्नाटक | 14 | 14 |
| केरल | 404 | 303 |
| मध्य प्रदेश | 95 | 90 |
| महाराष्ट्र | 97 | 63 |
| ओडिशा | 9 | 0 |
| सिक्किम | 1 | 1 |
| त्रिपुरा | 24 | 24 |
| उत्तर प्रदेश | 7 | 5 |
| उत्तराखंड | 12 | 10 |
| कुल | 1205 | 1018 |

**अनुलग्नक- 2**

**दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1634 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- 2**

**2017-18 से 2020-21 के दौरान टीएसएस को एससीए की योजना के तहत शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निधियों का राज्य-वार विवरण**

**(लाख रूपये में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | आंध्र प्रदेश | 2000.00 | 989.04 | 1082 | 744.41 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 495 | 916 | 225 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 1257.57 | 863 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 9313.96 | 10334.45 | 2382.62 | 4243.28 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 651.82 |
| 7. | गुजरात | 0 | 1437.33 | 3491.84 | 3570.1 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 490.00 | 1110.25 | 972.57 | 175 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | झारखंड | 6114.50 | 3147.57 | 6474.18 | 0 |
| 11. | कर्नाटक | 491.85 | 2236 | 6164 | 2100 |
| 12. | केरल | 340.85 | 400 | 0 | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 12955.65 | 13073.54 | 17700 | 710.08 |
| 14. | महाराष्ट्र | 4705.50 | 4142.98 | 4122.6 | 0 |
| 15. | मणिपुर | 1106.98 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मेघालय | 0 | 600 | 0 | 865.31 |
| 17. | मिजोरम | 0 | 1400 | 970 | 0 |
| 18. | नागालैंड | 0 | 433 | 200 | 0 |
| 19. | ओडिशा | 1400.00 | 2700 | 1000 | 0 |
| 20. | सिक्किम | 186.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | तमिलनाडु | 108.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | तेलंगाना | 1954.5 | 3844.89 | 2146.81 | 2345 |
| 23. | त्रिपुरा | 153.53 | 1112.69 | 200 | 340.6 |
| 24. | उत्तराखंड | 0 | 1012.88 | 616.58 | 187.59 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 1600.00 | 0 | 850.55 | 355.65 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 1040.97 | 895.95 | 591.25 | 602.07 |
| | कुल | 43962.79 | 49365.57 | 51138.57 | 18063.91 |

* 2021-22 के दौरान टीएसएस को एससीए की योजना को 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' की योजना में नव स्वरूपित कर दिया गया है।

**2017-18 से 2021-22 के दौरान 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के अंतर्गत शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए राज्य-वार स्वीकृत निधियां**

**(लाख रूपये में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **2017-18** | **2018-19** | ***2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5271.51 | 3555.77 | 5590.83 | 2295.00 | 2055.70 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 5903.06 | 2320.09 | 3835.00 | 725.00 | 1280.00 |
| 3 | असम | 0.00 | 2060.00 | 5228.24 | 358.90 | 620.00 |
| 4 | बिहार | 1285.41 | 1393.52 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 15799.66 | 12788.32 | 21545.77 | 8845.99 | 4965.95 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 10974.78 | 10637.36 | 15840.04 | 2845.87 | 5329.15 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1089.70 | 2018.56 | 2980.08 | 87.00 | 605.00 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 2783.27 | 4234.68 | 3260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | झारखंड | 8086.71 | 7425.75 | 11751.15 | 2650.00 | 1714.50 |
| 11 | कर्नाटक | 1743.48 | 1887.59 | 7417.77 | 1000.00 | 2100.00 |
| 12 | केरल | 803.17 | 976.33 | 1065.58 | 797.67 | 0.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 18468.00 | 7109.30 | 44572.80 | 10687.40 | 1944.81 |
| 14 | महाराष्ट्र | 8771.34 | 7851.45 | 15547.10 | 6390.73 | 0.00 |
| 15 | मणिपुर | 1141.40 | 2142.20 | 4277.60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | मेघालय | 1230.00 | 4993.54 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | मिजोरम | 1973.90 | 2823.47 | 4163.64 | 201.10 | 1068.57 |
| 18 | नागालैंड | 2846.98 | 3199.54 | 3488.71 | 650.00 | 605.00 |
| 19 | ओडिशा | 13098.80 | 14932.58 | 17470.00 | 12027.00 | 3877.00 |
| 20 | राजस्थान | 7726.34 | 9173.13 | 13029.23 | 6956.00 | 5411.90 |
| 21 | सिक्किम | 405.30 | 662.98 | 3175.36 | 376.00 | 420.00 |
| 22 | तमिलनाडु | 378.00 | 1224.97 | 6562.74 | 200.00 | 0.00 |
| 23 | तेलंगाना | 4766.17 | 4121.89 | 9273.28 | 1769.00 | 0.00 |
| 24 | त्रिपुरा | 2519.65 | 2183.06 | 2952.64 | 400.00 | 790.00 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 189.00 | 1145.88 | 1147.09 | 30.00 | 0.00 |
| 26 | उत्तराखंड | 1565.15 | 1220.34 | 428.37 | 700.00 | 591.88 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 2992.02 | 6043.49 | 6051.25 | 450.00 | 0.00 |
| कुल | | 121812.80 | 118125.79 | 211079.27 | 60442.66 | 33459.46 |

* ईएमआरएस सहित स्वीकृत निधि

**2017-18 से 2021-22 के दौरान 'पीवीटीजी के विकास' योजना के तहत शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए राज्य-वार स्वीकृत निधियां**

**(लाख रूपये में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 125.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3. | बिहार | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 802.80 | 460.22 | 670.00 |
| 5. | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | झारखंड | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.30 | 1190.00 |
| 7. | कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 756.00 | 0.00 | 32.50 | 3403.00 | 4521.60 |
| 10. | महाराष्ट्र | 845.50 | 346.30 | 29.98 | 500.00 | 0.00 |
| 11. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | ओडिशा | 322.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | राजस्थान | 852.30 | 60.00 | 0.00 | 764.24 | 0.00 |
| 14. | तमिलनाडु | 657.00 | 250.60 | 0.00 | 100.00 | 332.80 |
| 15. | तेलंगाना | 25.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 667.50 |
| 16. | त्रिपुरा | 58.00 | 164.20 | 300.00 | 250.00 | 150.00 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | उत्तराखंड | 0.00 | 0.00 | 489.53 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 75.75 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 4358.55 | 1651.82 | 1957.53 | 6558.76 | 7581.90 |

*******